अभिहित न्यायालय/न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं. 01, बाराबंकी।

आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–344/2026

सेन्ट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टीगेशन बनाम गिरीश चन्द्र सिंह विष्ट व अन्य

CBI Case No. RC0072025E0007 दिनांकित 26.11.2025, भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी, 406, 420, 506, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 111, 316(4), 336, 338, 340(2), 351(3), 352, उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबन्ध अधिनियम की धारा 3 और 21(3) (मामला पंजीकृत), धारा 7(3) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम।

दिनांक–09.07.2026

आदेश

पत्रावली पेश हुई।

पत्रावली वास्ते आदेशार्थ नियत है। विगत तिथि पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता श्री अनूप सिंह, एडवोकेट को सुना जा चुका है।

प्रस्तुत मामले में प्रार्थी सी0बी0आई0 की ओर से प्रार्थनापत्र अ–3 जरिये विशेष लोक अभियोजक अन्तर्गत धारा 7(3), 8 सपठित धारा 14 (2) the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019, के अन्तर्गत अनन्तिम कुर्की की अनुमति दिये जाने के आशय से प्रार्थनापत्र मे वर्णित आधारो पर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का कथन संक्षेप में इस प्रकार है कि, प्रस्तुत मामले में अभियुक्तगण गिरीश चन्द्र सिंह विष्ट आदि के विरूद्ध CBI Case No. RC0072025E0007 दिनांकित 26.11.2025, भारतीय दंड संहिता की धारा 120–बी, 406, 420, 506, भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2), 111, 316(4), 336, 338, 340(2), 351(3), 352, उत्तराखंड जमाकर्ता हित संरक्षण अधिनियम की धारा 3 और अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबन्ध अधिनियम की धारा 3 और 21(3) के तहत मामला पंजीकृत है एवं अभियुक्तगण से सम्बन्धित सम्पत्ति को धारा 7(3) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत 'सक्षम प्राधिकारी' द्वारा अनन्तिम रूप से कुर्क किया जाना है। इस हेतु धारा 14 (2) अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत, सम्पत्ति गैर–प्रदेश के जनपद बाराबंकी में होने के कारण, 'अनन्तिम कुर्की' (Provisional Attachment) हेतु, इस अभिहित न्यायालय (Designated Court) की अनुमति की आवश्यकता है।

Digitally signed by VINAY KUMAR SINGH
Date: 2026.07.09 15:28:05 IST
Reason: Document Owner
Location: ADJ,Court No.01,Barabanki.

न्यायालय द्वारा जारी पूर्व आदेश के अनुक्रम में प्रार्थी की ओर से प्रार्थनापत्र अ–48 प्रस्तुत किया गया है। विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा तर्क प्रस्तुत करते हुये कहा गया कि, अनन्तिम कुर्की (Provisional Attachment) के स्तर पर विपक्षी को सूचित ना किये जाने के सन्दर्भ में, तथा धारा 3 अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम 2019 के अन्तर्गत 'सक्षम प्राधिकारी' को यह विवेकाधिकार है कि वह धारा 3 के उल्लंघन में किये जा रहे निक्षेप से सम्बन्धित सम्पत्ति को अनन्तिम रूप से कुर्क कर सकेगा। इसी सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 12 व 13 का भी हवाला देते हुये कहा गया है कि, इस अधिनियम के अन्तर्गत 'निक्षेपकर्ताओं के दावो को पूर्विकता' (Priority) प्राप्त है। अतः ऐसी स्थिति में अनन्तिम कुर्की (Provisional Attachment) के स्तर पर जिलाधिकारी से भार–मुक्त प्रमाणपत्र (Non-Encumbrance Certificate) की आवश्यकता नहीं है; क्योंकि धारा 15 के अन्तर्गत जब 'अभिहित न्यायालय' द्वारा औपबन्धिक कुर्की की पुष्टि की जायेगी, उस स्तर पर विपक्षी को भी सूचित किया जायेगा एवं कुर्की से सम्बन्धित अन्य विधिक औपचारिकताओं की पूर्ति किया जाना प्रार्थी द्वारा अपेक्षित है।

प्रस्तुत मामले में यह उल्लेखनीय है एवं प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के निस्तारण हेतु मुख्य बिन्दु यह है, जैसा कि प्रार्थी द्वारा अपनी आपत्ति के पैरा 3 में यह स्वीकार किया गया है, कि प्रस्तुत मामले में प्रश्नगत कम्पनी M/s Loni Urban Multi State credit and Thrift Co-oprative Society(LUCC) जो उक्त अधिनियम, 2019 की प्रथम–अनुसूची (First Schedule) के क्रम संख्या–8 के सापेक्ष, स्तम्भ–2 में वर्णित विनियामक **(Ragulator),** केन्द्रीय रजिस्ट्रार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (The Central Resistrar, Multi-State Co-operative Societies) के द्वारा विनियमित एक पंजीकृत सोसाइटी है। इस प्रकार प्रार्थी के द्वारा आपत्ति की धारा–3 में वर्णित कथनो से ही यह स्पष्ट है कि, उक्त अधिनियम, 2019 की **'प्रथम–अनुसूची'** के **क्रम संख्या–8** पर वर्णित होने के कारण, प्रश्नगत सहकारी सोसाइटी(LUCC), **धारा 2(14)** के अन्तर्गत एक **'विनियमित निक्षेप स्कीम' (Ragulated Deposit Scheme)** के तहत चलाये जाने वाली बहुराज्य सहकारी सोसाइटी है, जिसको विनियमित करने का दायित्व स्तम्भ–2 के क्रम संख्या–8 में वर्णित 'विनियामक' **(Ragulator),** केन्द्रीय रजिस्ट्रार, बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (The Central Resistrar, Multi-State Co-operative Societies) का है। इस प्रकार यह सहकारी सोसाइटी उक्त अधिनियम, 2019 की **धारा 2(14)** व **धारा–4** सपठित प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत **'विनियमित जमा स्कीम' (Ragulated Deposit Scheme)** के अनुसरण में' निक्षेप लेने वाली सहकारी सोसाइटी है तथा यह सहकारी सोसाइटी,

'कम्पनी' की कोटि में नहीं आती है। किन्तु इस सन्दर्भ में विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय कर्नाटका की विधि व्यवस्था, **Yallappa Sham Managutakar v. State of Karnataka, in, CRL.P. No.100048 OF 2024 dated 17.01.2025** का अवलम्ब लेते हुये यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, 'हालॉकि प्रस्तुत मामले में सम्बन्धित सहकारी सोसाइटी धारा 2(14) के साथ सपठित 'प्रथम–अनुसूची' के क्रम–संख्या–8 पर वर्णित बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (Multi-State Co-operative Society) है; किन्तु उसके द्वारा निक्षेपकर्ताओं के साथ निक्षेप की गयी धनराशि के सन्दर्भ में किया गया कपट एवं धोखाधडी सम्बन्धित सोसाइटी के कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर किया गया कार्य है। अतः ऐसी स्थिति में यह कार्य धारा–3 के अन्तर्गत **'अविनियमित निक्षेप स्कीम' (Unragulated Deposit Scheme)**के अन्तर्गत किया गया कार्य माना जायेगा। इस तौर से प्रस्तुत मामला **धारा–27** सपठित धारा–4 की परिधि में नहीं आता है। अतः इस आधार पर धारा 27 के अन्तर्गत, प्रस्तुत मामले में विनियामक (Regulator) द्वारा केवल 'परिवाद' प्रस्तुत कर संस्थित किये जाने की विधिक बाध्यता लागू नहीं होती है।'

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त तर्को के सन्दर्भ में अविनियमित निक्षेप स्कीम पाबन्दी अधिनियम, 2019 की धारा–3 एवं धारा– 4 का उल्लेख किया जाना समीचीन होगा, जोकि निम्न प्रकार हैः–

> **Section 3. 'Banning' of 'Unregulated' Deposit Schemes.**-On and from the date of commencement of this Act,— (a) the Unregulated Deposit Schemes shall be banned; and
>
> (b) no deposit taker shall, directly or indirectly, promote, operate, issue any advertisement soliciting participation or enrolment in or accept deposits in of an Unregulated Deposit Scheme.
>
> **Section 4. 'Fraudulent default' in 'Regulated' Deposit Schemes.**-No deposit taker, Taker while accepting deposits pursuant to a Regulated Deposit Scheme, shall commit any fraudulent default in the repayment or return of deposit on maturity or in rendering any specified service promised against such deposit.

इस प्रकार उक्त वर्णित धारा–3 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि **धारा–3** उक्त अधिनियम 2019 के प्रारम्भ होने की तिथि से ही

'अविनियमित (Unragulated) निक्षेप स्कीम' पर की ''पाबन्दी''(Banning) से सम्बन्धित है, तथा इस पाबन्दी के परिणामस्वरूप बन्द की गयी सभी स्कीमो के द्वारा 'निक्षेप लेने वाली संस्था' को प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से निक्षेप की याचना करने वाले विज्ञापनों पर पाबन्दी लगायी गयी है। इस प्रकार धारा–3 के अन्तर्गत इस अधिनियम के लागू होने से पूर्व, कार्यरत सभी 'अविनियमित निक्षेप स्कीमो' **(Unragulated Deposit Scheme)** पर पाबन्दी लगाते हुये, भविष्य में उनके द्वारा निक्षेप लेने के सन्दर्भ में किसी भी विज्ञापन पर रोक लगायी गयी है एवं इसका उल्लंघन किये जाने पर दण्ड का प्रावधान धारा 21 के अन्तर्गत उपबन्धित किया गया है।

वहीं दूसरी ओर **धारा–4** के अन्तर्गत **विनियमित (Ragulated)** निक्षेप स्कीमो के अन्तर्गत जमा की गयी धनराशि के सन्दर्भ में यदि 'निक्षेप लेने वाली संस्था' कोई **'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' (Fraudulent default)** करती है, तो उसके सन्दर्भ में गुरूतर–दण्ड का प्रावधान धारा 22 के अन्तर्गत उपबंधित किया गया है।

इस प्रकार यदि एक बार कोई सहकारी संस्था, 'प्रथम–अनुसूची' मे आ जाती है तो वह धारा 2(14) के अन्तर्गत एक '**विनियमित(Ragulated)** निक्षेप स्कीम' मानी जायेगी एवं धारा–4 के उपबन्धों से आच्छादित हो जायेगी, जिसके परिणामस्वरूप उक्त स्कीम के संचालन के सन्दर्भ में सहकारी सोसाइटी द्वारा कोई भी 'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' **(Fraudulent default)** किया जाता है तो वह धारा 22 के अन्तर्गत **'गुरूतर दण्ड'** का भागी होगा। अतः ऐसी स्थिति में मात्र, कपट या धोखाधड़ी के आधार पर प्रथम–अनुसूची के क्रम संख्या–8 में वर्णित सहकारी संस्था धारा 2(14) के अनुसार, 'विनियमित**(Ragulated)** निक्षेप स्कीम' से 'अविनियमित **(Unragulated)** निक्षेप स्कीम' में नहीं आ जायेगी, ना ही वह कपट करके धारा 3 सपठित धारा 21 के अन्तर्गत कम सजा का लाभ प्राप्त कर सकेगी, और ना ही यह विधायिका की मंशा ही हो सकती है। अतः इस बिन्दु पर विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत तर्क अधिनियम के उक्त वर्णित विधिक उपबन्धो के प्रतिकूल होने के कारण बलहीन हैं एवं स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

इस प्रकार धारा 3 सपठित धारा 21 एवं धारा 4 सपठित धारा 22 के अन्तर्गत कारित अपराध का मूल अन्तर यह है कि, धारा 3 का प्रभाव यह कि, अधिनियम, 2019 प्रारम्भ की तिथि से 'अविनियमित **(Unragulated)** स्कीमें प्रतिबन्धित **(Banned)** हो गयीं तथा ऐसी प्रतिबन्धित 'अविनियमित **(Unragulated)** निक्षेप लेने वाली संस्था', निक्षेप करने हेतु प्रलोभित करने वाला कोई **विज्ञापन** आदि नहीं दे सकती। यदि वह ऐसा करती है तो वह 'अविनियमित **(Unragulated)** निक्षेप लेने वाली संस्था' धारा

21 के अन्तर्गत प्रावधानित दण्ड की भागी होगी। वहीं दूसरी ओर धारा 4 का प्रभाव यह कि, धारा 2(14) के अनुसार 'प्रथम अनुसूची' के आधार पर स्तम्भ–2 में वर्णित विनियामक **(Ragulater)** के अधीन पंजीकृत, 'विनियमित **(Ragulated)** निक्षेप लेने वाली संस्था' यदि निक्षेप के सन्दर्भ में कोई **'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' (Fraudulent default)** करती है, तो वह धारा 22 के अन्तर्गत **'गुरूतर दण्ड'** की भागी होगी।

अतः ऐसी स्थिति में जब कोई सहकारी–संस्था धारा 4 के उपबन्धो से आच्छादित है तो उनके सन्दर्भ में, धारा 7 के अन्तर्गत अनन्तिम कुर्की (Provisional Attachment) की कार्यवाही की ही नहीं जा सकती; क्योंकि धारा 7, धारा–3 के उल्लंघन में निक्षेप के बाबत **'अनन्तिम कुर्की'** (Provisional Attachment) को प्रावधानित करती है, ना कि धारा 4 के अन्तर्गत 'कपटपूर्ण व्यतिक्रम'**(Fraudulent default)** के निक्षेप को।

इस प्रकार, अधिनियम, 2019 के अस्तित्व में आने के कारण धारा–3 प्रतिबन्धित 'अविनियमित' **(Unragulated)** निक्षेप लेने वाली संस्था से सम्बन्धित है, जबकि धारा 4 विनियमित **(Ragulated)** निक्षेप लेने वाली संस्था' के द्वारा 'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' से सम्बन्धित है तथा धारा 4 के अन्तर्गत अभियोग की प्रक्रिया धारा 27 के अनुसार नियामक **(Ragulated)** द्वारा प्रस्तुत **'परिवाद'** पर ही प्रारम्भ की जा सकती है। इस प्रकार हस्तगत मामले में निक्षेप लेने वाली संस्था LUCC धारा 2(14) के अनुक्रम 'प्रथम अनुसूची' के क्रम संख्या–8 पर सम्बन्धित विनियामक **(Ragulater),** The Central Registrar, Multi-State Co-operative Society, के अधीन पंजीकृत एक सहकारी सोसाइटी है, जैसा कि प्रार्थी की आपत्ति के पैरा 3 मे ही स्पष्ट है। अतः इसके विरूद्ध अभियोग धारा 27 सपठित धारा 4 के अधीन केवल विनियामक **(Ragulater)** के द्वारा परिवाद पर ही लाया जा सकता है। अतः ऐसी स्थिति में हस्तगत सहकारी संस्था LUCC पर धारा 3 के उपबन्ध आकृष्ट ही नहीं होते हैं।

धारा 3 एवं धारा 4 अविनियमित **(Unragulated)** एवं विनियमित **(Ragulated)** निक्षेप लेने वाली संस्थाओं का मूल भेद तो है ही, वहीं दूसरी ओर इन धाराओं का 'क्षेत्राधिकार' भी पूर्ण रूप से भिन्न है, साथ ही साथ धारा 3 एवं धारा 4 के अन्तर्गत अधिनियम में विहित 'अभियोग की प्रक्रिया' का प्रारम्भ, तथा 'अपराध की प्रकृति एवं गुरूता' भी भिन्न है। इसी कारण धारा 4 में उपबन्धित दण्ड, धारा 3 की तुलना मे गुरूतर है। अतः यदि धारा 2(14) के अनुक्रम मे 'प्रथम–अनुसूची' के आधार पर पंजीकृत, किसी विनियमित **(Ragulated)** निक्षेप लेने वाली स्कीम द्वारा; निक्षेप के भुगतान के सन्दर्भ में यदि किसी भी प्रकार का 'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' **(Fraudulent default)** किया जाता है तो वह

कपटपूर्ण कार्य केवल व केवल धारा 4 की परिधि में ही रहेगा, वह अपराध सीमा का अतिलंघन कर धारा 3/21 के लघुतर दण्ड के अपराध की सीमा में प्रवेश नहीं कर सकता है; क्योंकि धारा 3 विनियमित निक्षेप के 'कपटपूर्ण व्यतिक्रम' से सम्बन्धित नही है वरन् 'प्रतिबन्धित अविनियमित' स्कीम के द्वारा निक्षेप हेतु प्रलोभन के 'विज्ञापन' आदि से सम्बन्धित है। अतः इस आधार पर भी विद्वान विशेष लोक अभियोजक के तर्क विधिसंगत ना होने के कारण स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है और ना ही प्रार्थी हस्तगत प्रार्थनापत्र के सन्दर्भ में माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की उक्त व्यवस्था का लाभ अपने पक्ष में पाने का अधिकारी है।

जहां तक विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा प्रस्तुत मामले में अपराध की प्रकृति एवं अभियुक्त द्वारा हजारो लोगो से प्राप्त किया गया कपटपूर्ण निक्षेप एवं उसमें शामिल हजारों करोड़ की धनराशि के सन्दर्भ में प्रस्तुत तर्क का सम्बन्ध है; यह तर्क नैतिक मूल्यों के आधार पर तो बलवती है, किन्तु जहॉ पर विधायिका द्वारा विधिक प्रक्रिया आज्ञापक रूप से साशय उपबन्धित कर दी गयी, वहॉ ऐसे तर्को का महत्व शेष नहीं रह जाता है।

अतः उक्त समस्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–344/2026, बाबत प्रार्थनापत्र अ–3 अन्तर्गत धारा 7(3), 8 सपठित धारा 14 (2) of the Banning of Unregulated Deposit Schemes Act, 2019, बाबत अनुमति अनन्तिम रूप से कुर्क किये जाने सम्पत्तियां, विधितः पोषणीय ना होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

तदनुसार प्रार्थनापत्र अ–3 एवं सम्बन्धित आपराधिक प्रकीर्ण वाद संख्या–344/2026 विधितः पोषणीय ना होने के कारण निरस्त किया जाता है।

यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा दिये गये उक्त अभिमत मामले के अन्वेषण एवं गुण दोष पर प्रभाव नहीं डालेगा, क्योंकि उक्त अभिमत केवल प्रार्थी के 'अनन्तिम कुर्की' (Provisional Attachment) की अनुमति की याचना से सम्बन्धित है।

अभिहित न्यायालय/अपर सत्र न्यायाधीश,

दिनॉक : 09.07.2026 न्यायालय संख्या–1,बाराबंकी।